

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० २५ / 2024

तारीख रजू :- 26.02.2024

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024/५७

उनवान

अतरसिंह पुत्र गिराजसिंह जाति जाट निवासी सोमली, तहसील सूरौठ हाल निवासी आदर्श नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

जीतेन्द्र पुत्र साहबसिंह जाति जाट निवासी सोमली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—गैरसायलान-10

दिनांक	फर्द अहकाम
26.2.2024	यह प्रार्थना पत्र सायला की ओर से श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.03.2024 को पेश हो।
	<p style="text-align: right;">(सुखाराम पिण्डेल) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
23/2/24	पत्रावली प्रस्तुत आज बार एडवोकेट द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली दिनांक 2-5-24 को पेश हो।
25/2/24	<p>पत्रावली दिनांक 25/2/24 को पेश हुई। सायल की ओर से अन्वयन किया गया है। अन्वयन के अभाव में अन्वयन कराया कि अन्वयन को नोटिस में रखा गया है। अतः अन्वयन कराना आवश्यक है। अतः अन्वयन कराना।</p>
Not Press	<p>बनाम जीतेन्द्र नोटिस में आरिफ किया जा रहा है। पत्रावली दिनांक 25/2/24 को पेश हुई। अन्वयन कराना।</p>

